20/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय
पक्ष उप.। प्रार्थीगण पक्ष प्रार्थी अधिवक्ता
हाजिर आया है। विस्तृत निर्णय पारित
किया जाकर नंबर से दर्ज हो
आदेश सुनाया गया

GCMS
2025/149

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रामेश्वर बनाम पवन कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा:–251–क आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–50/2025 (GCMS No. 2025/149)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। दिनांक 24.03.2026 को बहस सुनी गई थी। उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में चक 2 एल.जी.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 83/18 के पत्थर नं. 219/17(86) के किला नं. 16–25/0.506 है.कमाण्ड व पत्थर नं. 219/25(87) के किला नं. 10 ता 14, 16 ता 18, 19/1 में 2.252 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर नं. 219/26 (106) के किला नं. 17/2, 18/2, 19/2 में 0.379 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 219/33 (88) के किला नं. 20/0.253 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 3.390 हैक्टर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से इसी चक 2 एल.जी.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 119/81 के पत्थर नं. 219/25(87) के किला नं. 1 ता 9, 15 में 2.530 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर नं. 219/33 (88) के किला नं. 10–11 की 0.506 है. कमाण्ड व पत्थर नं. 219/49 (90) के किला नं. 16/3, 17/3, 18/3, 23/1, 24/2, 25/1 में 0.453 हैक्टर व पत्थर नं. 219/57 (91) के किला नं. 18/2, 19/1, 20/2, 21/1, 22/2, 23/1 में 0.557 हेक्टर इस प्रकार कुल 4.046 हैक्टर कमाण्ड भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 को अपने रकबा में काश्त करने के लिए चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/32 (80) के किला नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1–2 के नाम की खातेदारी भूमि चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 219/25 (87) के किला नं. 1 के पश्चिमी पासा में (उत्तर से दक्षिणी लम्बाई) में दो बिस्वा चौड़ाई में से होकर अपने रकबा को काश्त करते आ रहे है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। उक्त रास्ता पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मौखिक तौर पर दिया गया था। प्रार्थी उक्त रासता को मंजूर करवाना चाहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 रिश्ते में आपस में पति–पत्नि है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु चक 2 एल.जी.एम. से चक 3 एल. जी.एम. माईनर को पूर्व से पश्चिम जाने वाले स्वीकृतशुदा रास्ता के पत्थर नं. 219/26 के किला नं. 21/1/0.025, 22/1/0.025, 23/1/0.025, 24/1/0.025, 25/1/0.025 के किला नं. 21/1/0.025 हैक्टर में मंजुरशुदा रास्ता से इसी पत्थर नं. 219/26 के किला नं. 21/2/0.025, अ20/0.025 (किलाजात क पश्मिची पासा में दक्षिण से उत्तर लम्बाई में) कलावती पत्नी धमेन्द्र कुमार व धमेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति ब्राहमण खातेदार है जो कि रिश्ते में प्रार्थी के भाई व भाभी है की भूमि में से और आगे इसी पत्थर नं. 219/26 के किला नं. 1,10,11 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर (पश्मिसी पासा में दक्षिण से उत्तर लम्बाई में) जगदीश पुत्र पदमाराम जाति ब्राह्मण खातेदार जो कि रिश्ते में प्रार्थी के चाचा है की भूमि में से होकर चक 2 एलजीएम के पत्थर नं. 219/17 के किला नं. 25/0.253 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि में आवागमन करते है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा मौका पर चालू रास्ता का प्रयोग वर्षो से अपनी खातेदार भूमि में आवागमन हेतु किया जा रहा है। उक्त रास्ता को प्रा[illegible] अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वा[illegible] रिपोर्ट में इस तथ्य को छिपाया गया है। प्रार्थी द्वारा जो अप्रार्थी संख्या [illegible] 2 [illegible] खातेदारी कृषि भूमि चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 219/25(87) के किला [illegible] 1/0.253 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा में पश्चिमी [illegible] बिस्वा रास्ता चालू बताया है जबकि मौका [illegible] की ढ़ाणी, पशुओं के लिये बाड़ा, छपरे, शौचालय आदि बनाये गये है। जिसे प्रार्थी व उसकी पत्नी तुड़वाना चाहते है। प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2026	वकील उभय पक्ष द्वारा दौराने बहस मौका निरीक्षण करने का निवेदन किया गया। इसलिये मेरे द्वारा स्वयं मौका पर जाकर निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित रास्ता के पास अप्रार्थी संख्या 1–2 द्वारा निर्माण करवाया हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से पत्थर नं. 219/25 व पत्थर नं. 219/26 में खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। पत्थर नं. 219/26 के किला नं. 21 ता 25 के दक्षिणी पासा में स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से अंकित खातेदारी रकबा के दक्षिणी पासा में उनके परिवार के लोगों की भूमि है। प्रार्थी ने इन्हे जानबुझकर पक्षकार नही बनाया है ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असंयोजन से ग्रस्ति होने के कारण निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। प्रार्थी, अन्य वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाबत् स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.04.21 18:39:34 IST Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़